सप्लाई विविध प्रकरण सं. 09/2020 (2020/00093)

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अपर जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

प्रार्थी	**अप्रार्थीगण**
सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना देवनगर जोधपुर पश्चिम।	रविन्द्र कुमार शर्मा उर्फ रवि शूटर पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, पाल लिंक रोड़, थाना देवनगर, जोधपुर।

किस्म मुकदमा **सप्लाई विविध प्रकरण सं.** 09 सन् 2020

तारीख हुक्म	**हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**बनम्र व इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए**
16.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना देवनगर जोधपुर पश्चिम की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस वितरण व प्रदाय नियंत्रण आदेश 2000 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां पेश किया गया। प्रकरण स्थानान्तरण से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने बतलाया कि दिनांक 23.08.2019 को अप्रार्थी के कब्जे से बिना वैद्य लाईसेन्स के घरेलू गैस सिलेण्डर 04 एचपी कम्पनी, 01 सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी का व 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा व 01 गैस भरने वाली मशीन थाना हाजा में प्रकरण संख्या 257 दिनांक 23.08.2019 में दर्ज कर उक्त माल जब्त किया गया। अप्रार्थी के पास उक्त सिलेण्डरों बाबत् कोई वैध अनुज्ञा–पत्र नहीं था। इस प्रकार घेरलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा [illegible]) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों एवं सामान के निस्तारण किये जाने की प्रार्थना की गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अप्राथी को नोटिस	

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)

अन्तर्गत धारा 6 बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का जारी किया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश गौड़ ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी अधिवक्ता को प्रकरण में जवाब व बहस हेतु कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थीगण द्वारा घेरलू गैस सिलेण्डर का अन्य सिलेण्डर में भरने का कृत्य एवं अवैध सिलेण्डर संग्रहीत रखने पर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 4 (a) (b) की स्पष्ट अवहेलना की गई है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से कार्यवाही से सहमत होते हुए जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों मय गैस को राज्यसात (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों, 01 इलेक्ट्रोनिक कांटा व 01 गैस भरने वाली मशीन को जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को सुपुर्द करें। जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को निर्देश दिये जाते है कि वह उक्त सिलेण्डरों को संबंधित गैस एजेन्सी में जमा करावें तथा उससे प्राप्त राशि निर्धारित मद में राजकोष में जमा करायी जाये। एक इलेक्ट्रोनिक कांटा व 01 गैस भरने की मशीन को निलामी के माध्यम से बेचकर इससे प्राप्त राशि को निर्धारित मद में राजकोष में जमा करावें। आदेश की एक–एक प्रति प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना देवनगर जोधपुर पश्चिम तथा जिला रसद अधिकारी (प्रथम), जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:18 IST
Reason: SelfAttested